

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।  
पत्रांक 1903 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक- 22-12-2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-3402(1)/14-2-2018 दिनांक-14.12.2018, इस कार्यालय के पत्रांक-1846/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-18.12.2018 तथा में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 का पत्रांक- जे0ए0एल0/2016-12 दिनांक-19.12.2018 तथा पत्रांक- जे0ए0एल0/2016-12/2 दिनांक-21.12.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-3402(1)/14-2-2018 दिनांक-14.12.2018 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-1846/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-18.12.2018 द्वारा जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 से उ0प्र0 शासन के कार्यालय द्वारा वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी, जिसके अनुपालन में जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-जे0ए0एल0/2016-12 दिनांक-19.12.2018 से सूचना उपलब्ध करायी गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक-1874/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-20.12.2018 से जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 के सीएम, गोरखना, को अट्टाटैक को हस्तान्तरण के सम्बन्ध The National Company law Tribunal Bench Allahabad में दाखिल तिथि से अवगत कराने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 ने अपने कार्यालय के पत्रांक-जे0ए0एल0/2016-12/2 दिनांक-21.12.2018 द्वारा सूचना उपलब्ध कराया, गयी है।

अतः में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 का पत्रांक- जे0ए0एल0/2016-12 दिनांक- 19.12.2018 तथा पत्रांक-जे0ए0एल0/2016-12/2 दिनांक-21.12.2018 की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मूल चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या 1903 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0, सेक्टर 128, नोएडा, उ0प्र0 को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मूल चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

0/0

पत्रांक सं० - JAL/2016.12/2

दिनांक : 21.12.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,  
ओबरा वन प्रभाग,  
ओबरा, सोनभद्र।

विषय - जनपद - सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण के सम्यन्ध में।


- सन्दर्भ: 1. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा - सोनभद्र) के पत्रांक - 1874/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 20.12.2018  
2. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा - सोनभद्र) के पत्रांक - 1848/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 18.12.2018  
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (लखनऊ) के पत्रांक - 1188/11-सी-FP/UP/IND/23246/2016 लखनऊ, दिनांक - 14.12.2018

महोदय,

- आपके उपर्युक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि हस्तांतरण का वाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत 30.08.2016 एवं 07.11.2016 को दाखिल किया गया था।
- The National Company Law Tribunal के गठन के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.12.2016 के आदेश से उक्त वाद को NCLT को हस्तांतरण कर दिया था।
- उक्त के संबंध में वांछित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०



ब्रिगे० आर०आर० वाली (से०नि०)  
वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष

संलग्न - उपरोक्तानुसार

- प्रतिलिपि - 1. मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर)  
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (लखनऊ)

**Case Status - COMPANY PETITION ( COPP ) - [ 49/2016 ]**

Filing No.	COPP/49/2016	Filing Date : 07-11-2016
CNR	UPHC012104012016	Date of Registration : 07-11-2016

**Case Status**


First Hearing Date	21st December 2018
Date of Decision	21st December 2018
Case Status	Case Disposed
Nature of Disposal	Disposed off/Decided on merits
Stage of Case	For Order
Coram ( Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice )	ANJANI KUMAR MISHRA ( 2288 )
Bench Type	Single Bench
Judicial Branch	Company Matters
State	UTTARPRADESH
District	GAUTAM BUDDH NAGAR

**Petitioner/Respondent and their Advocate(s)**

Petitioner	Respondent
IN THE MATTER OF JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED AND ANOTHER Advocate - RAJENDRA PRASAD AGRAWAL,	Advocate - , NITIN SHARMA , RAM M.KUSHIK , RRIYANKA MIDHA , MANISH GOEL , NITIN SHARMA

**Category Details**

Category	COMPANY PETITION ( 210100 )
Sub Category	Miscellaneous ( 90 )

  
 Brig. (Retd) R. R. Chh  
 Authorised Signatory  
 For Jaiprakash Associates Ltd.

Court No. - 2

Case :- COMPANY PETITION No. - 49 of 2016

Petitioner :- In The Matter Of Jaiprakash Associates Limited And Another  
Counsel for Petitioner :- Rajendra Prasad Agrawal  
Counsel for Respondent :- Manish Goel, Nitin Sharma, Ram M. Kushik, Riyanka Midha

Hon'ble Anjani Kumar Mishra, J.

This Company Petition has been placed before the Court as in view of clause (c) of Section 434 (1) of the Companies Act, 2013 and the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules and the Companies (Removal of Difficulties) Fourth Order, 2016, w.e.f. 15 December, 2016, the same has to be transferred to the National Companies Law Tribunal, Allahabad Bench, constituted under Section 408 of the Companies Act, 2013.

None has raised any objection.

It is accordingly ordered to be transferred to the National Companies Law Tribunal, Allahabad Bench and for the purposes of the High Court, the same stands disposed of, as transferred to the National Companies Law Tribunal.

Order Date :- 21.12.2016  
Priyanka



Brig. (Retd) R. R. Ball  
Authorised Signatory  
For Jaiprakash Associates Ltd.

पत्रांक सं० - JAL/2016-12

दिनांक - 19-12-2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
ओबरा वन प्रभाग,  
ओबरा, सोनभद्र।

विषय - जनपद - सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लांट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: 1. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा - सोनभद्र) के पत्रांक - 1846/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 18-12-2018
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (लखनऊ) के पत्रांक - 1188/11-सी-FP/UP/IND/23246/2016 लखनऊ, दिनांक - 14.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय में माननीय एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 04.05.2016 के क्रम में फार्म-A में आवेदन सं० FP/UP/IND/23246/2016 दिनांक 23.12.2016 के अर्न्तगत निहित 115.874 हे० वन भूमि के विषय में आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है -

1. प्रस्ताव की आवश्यकता / आपरिहर्यता।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 01.08.2018

प्रस्ताव की आवश्यकता/आपरिहर्यता के विषय में आख्या निम्नवत है -

1. उ०प्र० सरकार द्वारा वर्ष 1954 में चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।
2. वर्ष 1972 में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम का गठन किये जाने पर उक्त फैक्ट्री की समस्त सम्पत्तियों को राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट निगम के मध्य स्थापित हुए हस्तान्तरण डीड द्वारा उक्त कारपोरेशन को सौंप दिया गया था। 1 अप्रैल 1972 से उक्त भूमि पर परिसम्पत्तियों का उपयोग उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम द्वारा किया जा रहा था।
3. वर्ष 1992 में सीमेन्ट निगम में लगातार घाटे के कारण दिनांक 08.12.1999 को मा० उच्च न्यायालय कम्पनी जज द्वारा BIFR की संस्तुति पर सीमेन्ट निगम को Liquidate करने के आदेश करते हुए इस हेतु Official Liquidator की तैनाती कर दी गयी।
4. दिनांक 08.12.1999 को मा० न्यायालय कम्पनी जज द्वारा सीमेन्ट निगम को Liquidate करने के अपने आदेश के उपरान्त बिक्री करने के उद्देश्य से अपने आदेश दिनांक 14.02.2002 द्वारा अपने स्तर से "एसेट्स सेल्स कमेटी" का गठन किया। दिनांक 30.01.2006 को मा० न्यायालय

कम्पनी जज द्वारा में जे०पी० एसोसिएट्स के ऑफर को अधिकतम ऑफर बताते हुए उनके टेण्डर को स्वीकार कर लिया गया। 115.874 हे० पर निर्माण भी सीमेन्ट निगम की परिसम्पत्तियों का हिस्सा है।

5. प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष 2008 में मै० जे०पी० एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा-4 के विज्ञप्ति से पृथक किये गये 1083.203 हे० वन भूमि को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मा० एन०जी०टी० न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का धारा - 20 की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है जिसकी स्वामित्व वन विभाग है। मा NGT ने Central Empowered Committee के सुझावों को स्वीकार करते हुए दिनांक 04.05.2016 एवं 30.05.2016 के पारित आदेश में 1083.203 हे० भूमि पुनः वन भूमि घोषित करते हुए उक्त भूमि को मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०, वन विभाग एवं राज्य सरकार को FCA 1980 की धारा - 2 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण कराने का निर्णय पारित किया।
6. उल्लेखनिय है कि NGT के आदेश के क्रम में ग्राम कोटा, पडरच एवं ओवरा पनारी में कुल 586.178 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु 02 प्रस्ताव दिये गये हैं -
  1. 115.874 हे० जे०पी० सुपर सिमेन्ट प्लांट एवं कालोनी FP/UP/MIN/23246/2016 दिनांक 23/12/2016
  2. 470.304 हे० लाइम स्टोन माइंस लीज FP/UP/MIN/23437/2016 दिनांक 03/12/2016
 470.304 हे० वन भूमि का प्रस्ताव खनन से सम्बन्धित है जो लाइम स्टोन खनन पट्टों का हिस्सा है।  
 115.874 हे० वन भूमि का प्रस्ताव जे०पी० सुपर सिमेन्ट प्लांट एवं आवासिय परिसर का हिस्सा है।
7. उक्त दोनो प्रस्ताव NGT में निर्णित वन भूमि 1083.203 हे० का हिस्सा है। उक्त भूमि 115.874 हे० पर क्रशर, रोप-वे एवं जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लांट निर्मित है। इसके आवासीय परिसर में आवास, स्कूल एवं अन्य निर्माण है।

**DETAILS OF HOUSES**

क्र०सं०	विवरण	कुल संख्या
<b>A</b>	<b>Plot 933 क</b>	
1.	Res. Qtrs	399
2.	El. Substation	2
3.	Play Ground	2
4.	Inter Collage	1
5.	ITI College	1
6.	Bitumen Roads	
<b>B</b>	<b>Plot 2576 क</b>	
1.	Res. Qtrs	16
2.	CBSE School	1
3.	Bitumen Roads	

C.	Plot 3200, 3199, 3202 & 3198
I.	Super Cement Plant, Road, pipe Conveyor Structure, Ropeway

The National Company Law Tribunal Bench Allahabad के पारित आदेश दिनांक 02/03/2017 के अन्तर्गत जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० के सिमेन्ट कारखानों को अल्ट्राटेक को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके अनुसार वन भूमि के संबन्धित हस्तांतरण प्रस्ताव पर मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा अनुमति प्राप्त की जानी है। अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमानुसार वन भूमि की अनुमति को अल्ट्राटेक सिमेन्ट को हस्तांतरित किया जायगा।

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 01.08.2018 बिन्दु - 02 की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, (ओबरा - सोनभद्र) अथवा मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर) द्वारा वांछित है। उ

धन्यवाद।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०

विगे० आर०आर० बाली (से०नि०)  
वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष

संलग्न - उपरोक्तानुसार

- प्रतिलिपि - 1. - मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर)  
2. - मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी ( लखनऊ)



प्रभारी वन्दो  
कृपया डाटा फाट कर

पु० व० ३१०  
उ० मी० ल० य०  
20/12/2018